

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-55158-163 दिनांक 26.08.2020 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने के लिए उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः जिला सोलन की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र. सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
विकास खण्ड कुनिहार							
1	डुमैहर	1. बजेरी	1. बडमल	भूमति	1 बडमल	1. बजेरी	
		2. धर्मपुर			2 रामपुर	2. धर्मपुर	
		3. बडमल			3 डाडल	3. डुमैहर (विक्रमपुर)	
		4. डुमैहर (विक्रमपुर)			4 जेखडी	4. लाधी	
		5. लाधी			5 पखरेड	5. नाणतो	
		6. नाणतो			6 भूमति	6. जघाना	
		7. जघाना			7 कोटलु		
					8 रिहावन		
					9 सलयाट		
					10 शांगली		
					11 सोथी		
					12 सोयली		
					13 धैणी		
					14 ईकवा		



					ब्राह्मणा		
					15 ईकवा कनैता		
					16 जमरोटी		
					17 लोहारा		
					18 चुनाड़ ब्राम्हणा		
					19 चुनाड़ कनैता		
					20 नगरवाड़		
					21 बजीवन		

**विकास खण्ड धर्मपुर**

2	घड़सी	1 च्यावनी भटटान	1 च्यावनी भटटान	बढलग	1 च्यावनी भटटान	1 मालू का बाण
		2 च्यावनी बहलवाला	2 च्यावनी बहलवाला		2 च्यावनी बहलवाला	2 च्यावनी कमठानू
		3 मालू का बाण			3 समाणू	3 च्यावनी बुधराट
		4 च्यावनी कमठानू			4 निहर	4 मटकण्डा
		5 च्यावनी बुधराट			5 बेहली	5 जंगल घड़सी
		6 मटकण्डा			6 जेपला	6 घड़सी ब्राहमणा
		7 जंगल घड़सी			7 मनेशी	7 ऐरा
		8 घड़सी ब्राहमणा			8 डोरा काटल	8 घड़सी कनैता
		9 ऐरा			9 दुर्गापुर	9 धायला
		10 घड़सी कनैता			10 अजी	
		11 धायला			11 खेरी	
					12 बढलग	
					13 कायल मेहता	
					14 कायल मंझली	
					15 भवानी पुर	
					16 बटोडा	

आदेश द्वारा  
सचिव (पंचायती राज),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)1/2019-

शिमला-171009

दिनांक

.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला-02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

अतिरिक्त निदेशक  
पंचायती राज विभाग  
हिमाचल प्रदेश।



अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-57862-65 दिनांक 05.09.2020 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः जिला सोलन की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास खण्ड कुनिहार						
1	पारन्नु	1 मोहाल कनसवांला	1 बरोग	नवगांव	1 नवगांव	1 मोहाल कनसवांला	
		2 उप मोहाल पारन्नु	2 गोदन		2 समलोह	2 उप मोहाल पारन्नु	
		3 उप मोहाल टेरा	3 चाम्बा		3 डोरू	3 उप मोहाल टेरा	
		4 डमराश			4 गुजरेड़ी	4 डमराश	
		5 बडाल			5 ठाठली	5 बडाल	
		6 रोपडी			6 मशलोग	6 रोपडी	



7 बरोग		7 बरोग	7 कसुबला
8 कसुबला		8 गोदन	
9 गोदन		9 चाम्बा	
10 चाम्बा			

आदेश द्वारा  
सचिव (पंचायती राज),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
दिनांक 25.9.2020

संख्या:पीसीएच-एचए (1)1/2019-60838-844 शिमला-171009  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला-02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

अतिरिक्त निदेशक  
पंचायती राज विभाग,  
हिमाचल प्रदेश।